अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं0- 12 /2022

12.11.22	अभिलेख उपस्थापित। PGMS PORTAL के माध्यम से शिकायतकर्त्ता– शिवानी कुमारी, पति– नविन कुमार भगत, ग्राम/पो0– पोड़ैयाहाट जिला– गोड्डा द्वारा खाद्य सुरक्षा अनिधियम, 2013 के तहत् प्रधान मंत्री मात् वंदना योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त हुआ है। अतः इस संबंध में शिकायतकर्त्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, एवं संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका को उक्त वाद से संबंधित प्रतिवेदन के साथ दिनांक– **15.10.22** को कार्यालय अवधि में अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ट में इस कार्यालय के पत्रांक/ज्ञापांक :– 1245/रा0, दिनांक 06.10.22 द्वारा उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। शिकायतकर्त्ता एवं संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका अनुपस्थित। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के पत्रांक 1693/जि0स0क0 दिनांक 14.10.22 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्त्ता शिवानी कुमारी, पति– नवीन कुमार भगत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित तीनों किस्त की राशि कुल– 5000.00 (पाँच हजार रूपये) उनके खाता संख्या– XXXXXXX6321 BOI में दिनांक 23.04.2020 को भेज दिया गया है एवं आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज करने की अनुशंसा किया गया है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त उक्त सूचना को इस कार्यालय के ज्ञापांकः– 1268/रा0, दिनांक 15.10.22 एवं अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक 916/रा0, दिनांक 22.10.22 से शिकायतकर्त्ता को अवगत करागा गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक/ज्ञापांक :– 1339/रा0, दिनांक 01.11.22 द्वारा सभी संबंधितों को वाद की अगली सुनवाई दिनांक **12.11.22** को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त निर्धारित तिथि को आँगनबाड़ी सेविका के माध्यम से स्वयं एवं शिकायतकर्त्ता का अभ्यावेदन दाखिल किया गया। उक्त अभ्यावेदन में शिकायतकर्त्ता द्वारा सूचित किया गया है कि " प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि संबंधित बैंक खाता जो निष्क्रिय था में प्राप्त होने की जानकारी मिली है।" एवं शिकायतकर्त्ता ने उक्त शिकायत को वापस को लेते हुए शिकायत को बंद करने का अनुरोध किया है। अतः उपरोक्त आवेदनकर्त्ता के अनुरोध, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक– 2853, दिनांक 26.05.16 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के धारा 15(5) के तहत् प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस वाद की कारवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा। अपर समाहर्त्ता –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोडडा।	